५/३/२०२१ पत्रावली आज पेश हुई। वजरिये उप. — वकील के सिवाय
करवाने बाबत जवाब प्रार्थना पत्र पेश ना कर सिधे ही बहस
प्रार्थना पत्र 212 RTA की गयी। उभय पक्षकारान के
विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 RTA सुनी
गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक ८/३/२०२१
को पेश हो।

८/३/२०२१ पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वजरिये उपस्थित
प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र 212 RTA में अपनी
बहस में तर्क दिया गया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2
में वर्णित कि. आ. ख. न. 2629 रकबा 0.37 है. वाके
ग्राम जवारपुरा [illegible] उक्त आराजी — वादि व
प्रतिवादी [illegible] की — आराजी खातेदारी प्रार्थी
व अप्रार्थी के मध्य [illegible] विभाजन [illegible] हुआ ही नहीं
अपने हिस्से के मुताबिक — काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण
बिना बंटवारा करवाये उक्त आराजी में मकान आदि —

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्माण करने के लिए, कि - चमनी - आसानी द्वारा की गयी अगर उक्त - चमनी में कामयाब हो जाये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी - इसलिए जब तक विभाजन नहीं हो जाये तब तक - वि. भू. की - मौका स्थिति यथास्थिति - बनाये रखने हेतु TI दे जारी किया जावे -

जवाब में वकील कृषि पट्ट कर्ता अप्रार्थी सं. 1 के वकील द्वारा - अपनी बहस में तर्क दिया कि - उपरोक्त वि. भू. बाबत कोर्ट पर स्पष्ट है - उक्त वि. भू. बाबत जनु - वाद - बदनसिंह व - निर्मला वगै - की - विभाजन का पेश किया गया था - जिस पर न्यायालय श्रीमान - द्वारा - अन्य पक्षकारान को सुनकर दिनांक - 17.2.2021 को स्थगन - TI खारिज की गयी थी। अब पुनः विभाजन का दावा - न्यायालय - श्रीमान में गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश कर स्थगन आदेश में प्राप्त करना चाहते हैं - जबकि - पूर्व में जो वाद - बदनसिंह व निर्मला वगै. में समान पक्षकार समान आराजी की है - अब पुनः नया वाद - पेश किया गया है - प्रार्थी आराजी मौके पर मनवर अडबड़ कायम - करना है। इसलिए उक्त - वाद - रेसज्यूडिकेटा से बाधित है जो कि - उक्त वि. भू. पर पूर्व से ही वाद विचाराधीन है - समान आराजी व समान पक्षकार के विरुद्ध पुनः दावा नहीं चल सकता है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र - खारिज फरमाया जावे -

पुनः रिविटल में प्रार्थी वकील ने कहा कि - पूर्व में जो वाद - बदनसिंह व निर्मला के मध्य चला था उसके आराजी समान नहीं थी - जिसके - खा.नं. 2630 व खा.नं 2629 - पर - 188 का वाद था न कि - विभाजन का दावा है - इसलिए उक्त - वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित नहीं है - इस संबंध में नजीर RRD - 1982, पृ. 370 - रामनारायण व अन्य बनाम - चरन वगै - तथा - ध्यान कुंवर व - मिश्री - अन्य वगै - की भी - पेश मानी है जो प्रकरण नजीर लागू होती है

हमने दोनों विद्वान वकीलों की - बहस को सुना गया तथा - पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि - प्रार्थी [illegible] ना पत्र - 22 RTA का पेश किया गया है। जिस [illegible] 0.37 बाके स्थान - कामर प्रथम - पर स्थित है। जिस [illegible] अप्रार्थी की - खातेदारी का - सह खातेदारों का हिस्से में [illegible] हो रहा है - तथा मनवर अडबड़ कायम होकर कब्जा करना चाहते हैं। जो कि - उक्त आवंटित - आराजी - है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
[illegible] (भरतपुर) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा...
	परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल- उ. पदनामित न्या. निर्णय प्र.नं.- 97/2019- प्रेम बनाम गाड़ी जिसमें- प्रार्थी व अप्रार्थी वगै. के विरुद्ध धारा- 91- भू.रा. अधिनियम- मे विचाराधीन था। जिसमें- खि.आ.ख.नं. 2629 रकबा 0.37 है- एवं ख.नं. 2630 रकबा- 0.15 पर- प्रार्थीगण द्वारा को अतिक्रमण- को मौके पर जाकर- TI पर- दिनांक- 17.2.21 को- TI खारिज की गयी- उक्त वाद में भी समान- पक्षकार व समान- आराजी है- तथा दोनों वादों- मे एक समान पक्षकार तथा समान आराजी के है- तथा जिस आराजी पर न्यायालय द्वारा- मौके पर जाकर निर्णय पारित कर दिया हो तो पुनः उसी न्यायालय में- दावा नहीं चल सकता है इसलिए उक्त वाद (प्रार्थना पत्र) रेसज्यूडिकेटा से बाधित है तथा- इस वाद में भी- समान पक्षकार समान- आराजी होने के कारण- प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र- खारिज- किया जाता है। पत्रावली मौका ... बाद नम्बर ... की जाकर- दाखिल दफ्तर हो सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested